# संस्वीकृति

## (confession)

Presented By-
Atul Kumar Gautam (SPO)
Police Training College
Moradabad

किसी अपराध के आरोप को स्वीकार करना संस्वीकृति कहलाता है।

संस्वीकृति दो प्रकार की होती है

1. न्यायिक (न्यायालय में)
2. न्यायिकेतर(न्यायालय के बाहर)

कानून की अपेक्षा है कि संस्वीकृति स्वेच्छयापूर्वक होनी चाहिए।इसलिये धारा 24 बनाई गई।

# धारा–24, के तत्व

अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति आपराधिक कार्यवाही में विसंगत (अमान्य) है यदि वहः–

1. उत्प्रेरणा (प्रलोभन),धमकी या वचन के द्वारा
2. किसी आरोप के बारे में
3. प्राधिकारवान व्यक्ति ने
4. दुनियावी (भौतिक) फायदा या हानि से बचने के लिये) के लिये की गई हो।

किन्तु प्रलोभन/धमकी/वचन का प्रभाव हट जाने पर धारा 28 में ऐसी संस्वीकृति सुसंगत(मान्य) होगी।

**धारा–25**, पुलिस अधिकारी से की गई ‘‘संस्वीकृति’’ किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध साबित नही की जायेगी।

1. पुलिस अधिकारी का तात्पर्य–ऐसे किसी व्यक्ति से है जिसे पुलिस के कार्य, अधिकार मिले हों।

2. ऐसी संस्वीकृति चाहे अन्वेषण से पूर्व या पश्चात हो। जिस समय संस्वीकृति न्यायालय में सिद्ध की जा रही हो उस समय अभियुक्त होना चाहिए।

(यू0पी0 बनाम देवमणि ) A.I.R 1960 S.C 1125

**<u>केवल संस्वीकृति अपवर्जित है।</u>**

अर्थात किसी पुलिस अधिकारी के सामने किसी अभियुक्त द्वारा दिया गया बयान पूरा अपवर्जित नही होता। केवल बयान का वह भाग जो अपराध में अभियुक्त को संलिप्त(फॅसाये) करें।

([illegible])[illegible]IC 480

**धारा 26**– पुलिस की अभिरक्षा में होते हुये अभियुक्त द्वारा की गयी संस्वीकृति को उसके विरूद्ध साबित नही किया जा सकता। जब तक की मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में मजिस्ट्रेट से न की गयी हो।

**पुलिस हिरासत का तात्पर्य**– पुलिस हिरासत या अभिरक्षा का महत्वपूर्ण लक्षण है कि अभियुक्त किसी स्थान से चलने फिरने के लिये स्वतन्त्र था या नही? यदि नही तो अभियुक्त पुलिस की अभिरक्षा में कहा जायेगा।

**धारा 27**–

1. पुलिस अभिरक्षा में किसी अपराध के अभियुक्त द्वारा दी गयी सूचना या बयान के फलस्वरूप किसी तथ्य का चला था (Discovered)

2. तब ऐसी सुचना या बयान में से

3. उतना जितना तदद्वारा पता चले हुए तथ्य से स्पष्टतया सम्बन्धित है,साबित की जा सकती है।

**जैसे**– हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी के बाद कह विवेचक से अपने जुर्म को इकबाल करते हुये बताया कि उसने मृतक की हत्या चाकू से की तथा हत्या के बाद चाकू तालाब में गाड़ दिया।

विवेचक उस अभियुक्त को विशेष तालाब पर कुछ स्वतन्त्र गवाहों के साथ ले जाता है एवं अभिुक्त के बताने पर उसी विशेष स्थान पर चाकू बरामद होता है जहॉ अभियुक्त ने बताया था।

उपरोक्त अभिुक्त के बयान का भाग ''मैने चाकू से हत्या की है'' संस्वीकृति पुलिस अभिरक्षा में पुलिस अधिकारी को किये जानें कारण विसंगत(अमान्य)है, तथा अभियुक्त द्वारा दी गयी सूचना के परिणामस्वरूप किसी तथ्य का पता चलता है (यहां चाकू)न्यायालय में सुसंगत(मान्य)है।

# मृत्युकालीन कथन

# Dying Declaration

Presented By-
Atul Kumar Gautam(SPO)
Police Training College
Moradabad

**मृत्यु से पूर्व कोई भी व्यक्ति झूठ बोलकर भगवान से मिलने नही जाता इस सर्वमान्य धारणा पर मृत्युकालीन कथन अवधारित है।**

**मृत्युकालीन कथन धारा 32(1) भारतीय साक्ष्य अधिनियममें सुसंगत है यदिः–**

1.वह कथन जो मृत्यु के कारण के सम्बन्ध में किया हो,उन परिस्थितियों के विषय में किया हो जिनमें उनकी मृत्यु हुई हो,

2.और उसकी मृत्यु का कारण प्रश्नगत हो

3.भले ही कथन करते समय, कथन करने वाले को अपनी मृत्यु की प्रतिशंका (Anticipation) नही हो

कथन– मौखिक,लिखित,हावभाव, किसी भी तरह से हो सकता है।

''मृत्यु का तात्पर्य'' केवल मानववध ही नही है बल्कि आत्महत्या भी शामिल है

## मृत्युकालीन कथन कौन लिख सकता है?

1. कोई भी व्यक्ति मृत्युकालीन बयान लिख सकता है। अर्थात मृतक स्वयं (सुसाइड नोट)या कोई भी जनता का /सरकारी व्यक्ति ऐसा बयान लिख सकता है। जैसे– पुलिस, पब्लिक,मजिस्ट्रेट, डाक्टर।

जहॉ तक संभव हो तो मृत्युकालीन कथन को प्रश्नोत्तर करके लिखना चाहिये एवं कथन करने वाले के शब्दों को हूबहू अंकित करना उचित है।जिससे वह विश्वसनीय माना जा सके।

**मृत्युकालीन कथन अंकित करते समय निम्न अपेक्षित बातों का ध्यान देना चाहिये–**

1. किसी व्यक्ति के पढाने, सिखाने या उकसाने के फलस्वरूप न दिया गया हो।

पुलिस अधिकारी को यह उचित होगा कि बयान लिखते समय इस बात का ध्यान रखें।

2. मृतक कथन करने के लिये मन(Mind) की ठीक दशा में था तथा कथन बिना किसी दुश्मनी के किया हो।

3. कथ्न अंकित करने के बाद कथन करने वाले के हस्ताक्षर व निशानी अंगूठा स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष लगवाना चाहिये एवं उसे पढकर सुनाना चाहिये।

**वे मामले जिसमे 'मृत्युकालीन कथन' मृतक ने स्वयं लिखा हो–**

1. सुसाइड नोट जो मृत्यु के कारणों पर सीधा व निकट संबंध रखे

2. मृत्यु से पूर्व लिखे गये पत्र जो मृत्यु के कारण पर सीधा प्रकाश डालते है एवं मृत्यु से ठीक पूर्व लिखे गये हो।

दलवीर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2004(2)जे0आई0सी0पेज376 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने मृतका द्वारा लिखे गये पत्र जिनमें ससुराल के लोगो द्वारा दहेज की मांग के कारण लगातार उत्पीड़न करने की बातों का जिक्र किया गया था को धारा 32 (1) साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत मृत्युकालीन कथन माना है।

———————